

पटना में दिनांक-30 सितम्बर, 2026 बुधवार को अपराह्न 4:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये:—

ऊर्जा विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 1. | बिहार हरित हाइड्रोजन नीति, 2026 प्रारूप की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

ऊर्जा विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 2. | साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं०लि० के क्षेत्राधीन कैमूर और रोहतास जिलों के 177 बसावटों (132 गाँवों) के 21644 घरों को ग्रिड से विद्युतीकरण करने हेतु “पुनर्नित्थान वितरण क्षेत्र योजना” (Revamped Distribution Sector Scheme)—RDSS अंतर्गत कुल राशि 117.80 करोड़ (एक सौ सतरह करोड़ अस्सी लाख) रुपये की स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित लागत 351.85 करोड़ (तीन सौ इक्यावन करोड़ पचासी लाख) रुपये की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

कृषि विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 3. | बिहार विधिक माप विज्ञान (जीएटीसी) नियमावली, 2026 (The Bihar Legal Metrology (GATC) Rules, 2026) की स्वीकृति के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

कृषि विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 4. | बिहार विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियमावली, 2026 की स्वीकृति के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

कला एवं संस्कृति विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 5. | बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय—सह—स्मृति स्तूप, वैशाली तथा संग्रहालय निदेशालय एवं राजकीय संग्रहालयों के सुचारु रूप से संचालन हेतु न्यूनतम आवश्यकताधारित विभिन्न कोटि के कुल 35 (पैंतीस) पदों पर 11 (ग्यारह) माह की अवधि अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, संविदा के आधार पर नियोजन करने के संबंध में। | 5. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

गृह विभाग

6. राज्य में कानून-व्यवस्था (Law and Order) को नियंत्रण एवं सुदृढ़ करने हेतु 30 अद्द वाटर कैनन (Water Cannon) के क्रय हेतु प्रति अद्द ₹88.00 लाख की दर से लागत राशि ₹2640.00 लाख (छब्बीस करोड़ चालीस लाख रु०) मात्र एवं 86 अद्द नये वज्र वाहन के क्रय हेतु प्रति अद्द ₹42.00 लाख की दर से लागत राशि ₹3612.00 लाख (छत्तीस करोड़ बारह लाख रु०) मात्र अर्थात् कुल लागत राशि ₹6252.00 लाख (बासठ करोड़ वावन लाख रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में।
6. स्वीकृत।

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

7. सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अन्तर्गत टेक होम राशन (THR) घटक हेतु रेसिपी आधारित सुदृढीकृत खाद्य उत्पाद (RBFPP) की आपूर्ति के लिए कॉम्फेड को गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन (Quality and Cost Based Selection- QCBS) पद्धति से निर्माताओं/ आपूर्तिकर्ताओं के चयन पी०पी०पी० मोड में 15 वर्षों के लिए Boot (Build, Own, Operate and Transfer) आधार पर करने तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में।
7. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

8. बिहार राज्य आवास बोर्ड की बहादुरपुर, सेक्टर-6, पटना अवस्थित जर्जर आवासीय कॉलोनी के स्व-वित्तपोषित पुनर्विकास (Redevelopment) हेतु NBCC (India)Ltd. के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) करने तथा योजना के क्रियान्वयन से संबंधित आनुषंगिक निर्णय लेने हेतु बिहार राज्य आवास बोर्ड को प्राधिकृत करने के संबंध में।
8. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

9. बिहार राज्य आवास बोर्ड की बहादुरपुर, सेक्टर-5 (टी०वी० टावर के निकट) में 8.5 एकड़ भूखण्ड पर स्व-वित्तपोषित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु NBCC (India) Ltd. के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) करने तथा योजना के क्रियान्वयन से संबंधित आनुषंगिक निर्णय लेने हेतु बिहार राज्य आवास बोर्ड को प्राधिकृत करने के संबंध में।
9. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

10. प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल, मुंगेर अन्तर्गत तारापुर बाईपास पथ, वंशीपुर (एस०एच०-22 के 18वें कि०मी०) से बिहमा (एस०एच०-22 के 22वें कि०मी०) तक भाया धोबई, गोगाचक, तेलडीहा मंदिर, मोहनगंज, (कुल लम्बाई 7.00 कि०मी०) कार्य हेतु कुल 11590.30 लाख (एक सौ पन्द्रह करोड़ नब्बे लाख तीस हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
10. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

11. सात निश्चय-2-सुलभ संपर्कता के तहत पथ प्रमंडल, मुंगेर अंतर्गत रनगौव-भागलपुरा पथ से धौनी भाया विसय में बाईपास पथ के निर्माण कार्य हेतु कुल 8763.23 लाख (सत्तासी करोड़ तिरसठ लाख तेईस हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
11. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

12. पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले सड़कों एवं भूखण्डों पर विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, टेलीफोन लाइन या केबुल/ऑप्टिकल फाइबर केबुल, सिवर लाइन, गैस पाईप लाइन बिछाने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की स्वीकृति के संबंध में।
12. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

13. मीठापुर महुली एलिवेटेड पथ से 2-लेन डाउन रैम्प एवं परसा-सम्पत्तचक पथ संरक्षण में 2-लेन एट-ग्रेट पथ का निर्माण कार्य हेतु कुल राशि ₹8225.77 लाख (रुपये बयासी करोड़ पच्चीस लाख सतहत्तर हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
13. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

14. आवेदक मेसर्स उत्कर्ष स्फटिक लि०, कोलकाता द्वारा परियोजना इकाई होटल ताज सिटी सेंटर, पटना के निर्माण के संबंध में समर्पित प्रस्ताव को बिहार पर्यटन नीति 2023 एवं मार्गदर्शिका 2024 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत परियोजना लागत 213,41,54,000/-(दो सौ तेरह करोड़ एकतालीस लाख चौवन हजार) रुपये मात्र के आधार पर द्वितीय चरण की (वित्तीय) स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
14. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

15. कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, पटना का संशोधित Memorandum of Association एवं Articles of Association की स्वीकृति के संबंध में।
15. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

16. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस-2025 के अवसर पर मधुबनी जिला में आयोजित कार्यक्रम हेतु समुचित व्यवस्था के लिए किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹17,28,70,659.00 (सत्रह करोड़ अठाईस लाख सत्तर हजार छः सौ उनसठ रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति के संबंध में।
16. स्वीकृत।

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

17. सात निश्चय-3 के अन्तर्गत कुशल युवा कार्यक्रम (डिजिटल मित्र) के संचालन हेतु दिनांक-12.08.2026 को मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरान्त बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-3291, दिनांक-19.08.2026 के तहत पारित कुशल युवा कार्यक्रम (डिजिटल मित्र) के संचालन हेतु सात निश्चय 2 की अवधि की समाप्ति के समय कार्यरत 871 कुशल युवा कार्यक्रम के संचालकों को नामांकन के आधार पर एवं बिहार कौशल विकास मिशन के शासी निकाय द्वारा इसके निमित्त निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप संचालन की स्वीकृति के संबंध में।

17. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

18. पटना जिलान्तर्गत पटना सिटी अंचल के मौजा-सबलपुर दियारा, थाना सं०-170 में कुल प्रस्तावित रकवा-02 एकड़ असर्वेक्षित भूमि पर विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल के विकास हेतु 1,68,000/- (एक लाख अड़सठ हजार) रु० प्रति डी० की दर से 3,36,00,000/- (तीन करोड़ छत्तीस लाख) रु० सलामी एवं सलामी का 05 प्रतिशत राशि-16,80,000/- (सोलह लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र वार्षिक लगान के भुगतान पर 25 वर्षों के लिए अस्थायी लीज पर लीज नवीकरण विकल्प के साथ भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) को दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

18. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

19. पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा-दुजरा दियारा, थाना सं०-139 में कुल प्रस्तावित रकवा-02 एकड़ असर्वेक्षित भूमि पर विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल के विकास हेतु 4,200/- (चार हजार दो सौ) रु० प्रति डी० की दर से 8,40,000/- (आठ लाख चालीस हजार) रु० सलामी एवं सलामी का 05 प्रतिशत राशि-42,000/- (बयालीस हजार रुपये) मात्र वार्षिक लगान के भुगतान पर 25 वर्षों के लिए अस्थायी लीज पर लीज नवीकरण विकल्प के साथ भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) को दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

19. स्वीकृत।

वित्त विभाग

20. विभाग/खरीद इकाई द्वारा निष्पादन योग्य वस्तुओं की नीलामी हेतु जेम पोर्टल पर उपलब्ध फॉरवर्ड ऑक्शन मॉड्यूल का आवश्यकतानुसार उपयोग करने की स्वीकृति हेतु बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-130 के उपनियम-(ix) के बाद उपनियम-(x) जोड़े जाने की स्वीकृति के संबंध में।

20. स्वीकृत।

वाणिज्य-कर विभाग

21. क्षेत्रीय संपर्क योजना-संशोधित उड़ान (संस्करण 6.0) के अंतर्गत राज्य के RCS रियायती हवाई अड्डों पर विमान ईंधन (ATF) हेतु वैट की दर 1% से घटाकर शून्य प्रतिशत किए जाने के निमित्त मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।
21. स्वीकृत।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

22. "डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कम्प्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय" के प्रशासनिक कार्यों के प्रयोजनार्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 34 (चौत्तीस) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
22. स्वीकृत।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

23. "शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय" के प्रशासनिक कार्यों के प्रयोजनार्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 34 (चौत्तीस) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
23. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

24. राज्य में हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों के बेहतर उपचार हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष अंतर्गत "मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना" की स्वीकृति तथा इसके क्रियान्वयन के लिए Non Factor दवा Emicizumab (Proprietary Item) के क्रय पर होने वाले व्यय हेतु प्रथम वर्ष में कुल राशि रु० 26,33,63,490/- (रुपये छब्बीस करोड़ तैंतीस लाख तिरसठ हजार चार सौ नब्बे) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।
24. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(आईसीडीएस निदेशालय)

25. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य में संचालित ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत सेविका/सहायिका के माह अगस्त तक के मानदेय एवं आईसीडीएस निदेशालय, सभी जिला प्रोग्राम कार्यालय तथा बाल विकास परियोजना कार्यालयों में कार्यरत सांख्यिकी सहायक, महिला पर्यवेक्षिका, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर आदि के माह नवम्बर, 2026 तक के मानदेय भुगतान हेतु राज्य स्कीम के तहत संबंधित विभिन्न मदों में बिहार आकस्मिकता निधि से कुल राशि रु० 477.00 करोड़ (रु० चार सौ सतहत्तर करोड़ रुपये) मात्र अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।
25. स्वीकृत।

सिविल विमानन विभाग

26. बिहार राज्य के विमानन क्षेत्र के समग्र एवं दीर्घकालिक विकास हेतु 'एविेशन विजन एवं पॉलिसी' तैयार करने के लिए नामांकन के आधार पर ₹86.17 लाख + लागू कर की सेवा शुल्क पर मेसर्स कै०पी०एम०जी० इंडिया सर्विसेज एल०एल०पी०, गुरुग्राम से परामर्शी सेवा प्राप्त करने के संबंध में।
26. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

27. मुंगेर जिलान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-333 के कि०मी० 28.340 से कि०मी० 38.840 (गंगटा जंगल) तक (सिंगल लेन से 2-लेन) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु कुल ₹5122.33572 लाख (इक्यावन करोड़ बाईस लाख तैंतीस हजार पाँच सौ बहत्तर रुपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर निर्गत प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
27. स्वीकृत।

वित्त विभाग

28. सप्तम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित अंतरिम प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 के लिए लागू करने के संबंध में।
28. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

29. राज्य के वित्तीय हित, किसानों की आय में वृद्धि और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा सौर ऊर्जा से शेष 2554 कृषि फीडरों के सोलराईजेशन हेतु कुल 2585 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों के स्थापनार्थ 1.05 करोड़ (एक करोड़ पाँच लाख) रुपये प्रति मेगावाट के अनुदान हेतु आवश्यक 2714.25 करोड़ (दो हजार सात सौ चौदह करोड़ पच्चीस लाख) रुपये तथा 946 विद्युत उपकेन्द्रों में योजना के क्रियान्वयन पर ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन के लिए कुल 47.30 करोड़ (सैंतालीस करोड़ तीस लाख) रुपये की राशि देने हेतु कुल 2761.55 करोड़ (दो हजार सात सौ इकसठ करोड़ पचपन लाख) रुपये के अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
29. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

30. नई दिल्ली स्थित स्थानिक आयुक्त कार्यालय एवं बिहार भवन कार्यालय को सुदृढ तथा सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से पुनर्गठन की स्वीकृति के संबंध में।
30. स्वीकृत।